

**कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।**

ईमेल - cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक न-9/सीएफओ(स्कूल/मोमा)-D-PO-366-2023  
सेवा में,

दिनांक दिसम्बर 19, 2023

स्वामी/प्रबन्धक

GD Goenka Public School

Khasra NO-1032 KH, 1032 GA, 1033, 1038 KH, 1074 and 1075 GH

Village-Shisham Bara, Tehsil-Vikas Nagar

जनपद-देहरादून।

विषय

शैक्षणिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-71506418 दिनांक 29.11.2023 के अन्तर्गत GD Goenka Public School,

Khasra NO-1032 KH, 1032 GA, 1033, 1038 KH, 1074 and 1075 GH, Village-Shisham Bara, Tehsil-Vikas Nagar, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः उपनिदेशक (तकनीकी) महोदय, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा देहरादून के ऑनलाईन अनुमोदनोपसन्त दिनांकित 18.12.2023 के आधार पर GD Goenka Public School, Khasra NO-1032 KH, 1032 GA, 1033, 1038 KH, 1074 and 1075 GH, Village-Shisham Bara, Tehsil-Vikas Nagar, जनपद देहरादून को शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 19 दिसम्बर 2023 से 18 दिसम्बर 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैंक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके शैक्षणिक संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षणिक भवन के विद्युत यंत्रों की स्थापना, वीटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सीओओओ फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
7. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

(विकास) यादव

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

देहरादून।

